राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 770/2014/आबकारी/अलवर.

राशिद पुत्र श्री साबिर अली पुत्र श्री नजर अली,
नि0 रधोंती, पुलिस थाना मुंडाली, जिला मेरठ (यू.पी.). .....अपीलार्थी.

बनाम

आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री हरीश त्रिपाठी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के आदेश क्रमांक प.29(बी)(80)पीएस/वाहन/आब/2013/4014 दिनांक 30.04.2014 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 9(ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बहरोड़, अलवर द्वारा दिनांक 25.09.2011 को चैकिंग के दौरान वाहन (ट्रक) संख्या यू.पी.–15–ए.टी.–2723 में 6072 बोतलें, 6000 पव्वे व 6696 केन बियर अवैध शराब (हरियाणा राज्य में विक्रय योग्य) पायी गयी। इस पर आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत अभियोग संख्या 12/11–12 दिनांक 25.09.2011 में अवैध शराब एवं अवैध रूप से राज्य में शराब परिवहन कर विक्रय हेतु उपयोग में लिये जा रहे ट्रक संख्या यू.पी.–15–ए.टी.–2723 अभिग्रहित कर आयुक्त आबकारी को अधिनियम की धारा 69 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव किया गया। तत्पश्चात जिला आबकारी अधिकारी, अलवर द्वारा वाहन स्वामी श्री राशिद पुत्र श्री साबिर / श्री साबिर पुत्र श्री नजर अली को नोटिस क्रमांक 1574 दिनांक 23.07.2013 जारी कर उक्त वाहन को अधिहरण से मुक्ति हेतु आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया। उक्त नोटिस की पालना में वाहन स्वामी द्वारा आबकारी आयुक्त के

लगातार.....2

समक्ष प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.11.2013 को प्रस्तुत करते हुए वाहन को अधिहरण से मुक्त किये जाने बाबत निवेदन किया गया। प्रार्थी वाहन स्वामी के प्रार्थना–पत्र पर आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 30.04.2014 पारित करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 69 के तहत वाहन के अधिहरण से मुक्ति के विकल्प में जुर्माना राशि रूपये 7,00,000/– निर्धारित की गई। आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी वाहन स्वामी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बहरोड़ जिला अलवर द्वारा प्रार्थी से सम्बन्धित अभियोग संख्या 12/11–12 दिनांक 25.09.2011 को दर्ज किया जाना बताया गया है, जबकि प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बहरोड़ जिला अलवर द्वारा अभियोग संख्या 12/11–12 दिनांक 30.06.2011 को राजेश पुत्र श्री मतुराम के विरूद्ध दर्ज किया गया था, जिसका मुकदमा संख्या 185/12 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहरोड़ (अलवर) के न्यायालय में लम्बित है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दिनांक 25.09.2011 को दर्ज करना बताया गया है, जबकि जिला आबकारी अधिकारी, अलवर द्वारा प्रार्थी को इस बाबत प्रथम नोटिस दिनांक 23.07.2013 अर्थात् लगभग 2 वर्ष पश्चात जारी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मिथ्या प्रकरण दर्ज किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अपना वाहन श्री गुरजीत सिंह पुत्र श्री गुरूचरण सिंह निवासी गुड़गांव को दिनांक 26.08.2011 से 26.07.2012 की अवधि के लिये लीज पर दिया हुआ था, जिसकी लीजडीड नोटेरी से सत्यापित करवाई गयी थी एवं आबकारी आयुक्त के समक्ष भी प्रस्तुत कर दी गयी थी। आबकारी निरोधक दल द्वारा वाहन की तथाकथित चैकिंग दिनांक 25.09.2011 को किया जाना बताया गया है, अर्थात् चैकिंग दिनांक को वाहन श्री गुरजीत सिंह के कब्जे में था, जिसकी समस्त जिम्मेदारी गुरजीत सिंह की थी। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने विभाग के प्रकरण को तथ्यों से परे मिथ्या बताते हुए आबकारी आयुक्त के आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

लगातार.....3

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि विभागीय दल की भूल से प्रकरण का क्रमांक 12/11–12 दर्ज हो गया, जबकि प्रकरण में वाहन की जांच की जाना एवं वाहन में हरियाणा राज्य में विक्रय योग्य अवैध शराब पाया जाना प्रमाणित है। वाहन को अवैध शराब परिवहन के आरोप में जब्त किया गया है। वाहन का अधिहरण से मुक्ति के लिये प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 69 के तहत वाहन के बाजार मूल्य के अनुसार जुर्माना राशि का आरोपण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बहरोड़ जिला अलवर द्वारा प्रार्थी के वाहन में अवैध शराब के परिवहन के आरोप में अभियोग संख्या 12/11–12 दिनांक 25.09.2011 को दर्ज किया गया, जबकि रेकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बहरोड़ जिला अलवर द्वारा अभियोग संख्या 12/11–12 दिनांक 30.06.2011 राजेश पुत्र श्री मतुराम के विरूद्ध दर्ज किया गया था, जिसका मुकदमा संख्या 185/12 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहरोड़ (अलवर) के न्यायालय में दर्ज किया गया है। इस बाबत प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बहरोड़ जिला अलवर की चार्ज–शीट की प्रमाणित प्रतिलिपि, आबकारी विभाग की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध है। उक्त दस्तावेजों के अनुसार आबकारी दल द्वारा दिनांक 30.06.2011 को सूचना के आधार पर राजेश पुत्र श्री मतुराम के पास से लोहे के बक्से में दो कार्टन में 96 पव्वे देशी शराब के पाये जाना बताया गया है। इसी प्रकार आबकारी आयुक्त के जिला आबकारी अधिकारी अलवर को लिखे गये पत्र क्रमांक 3643 दिनांक 25.11.2013; क्रमांक 3739 दिनांक 08.01.2014 में **अभियोग संख्या 12 दिनांक 30.06.2011** में वाहन संख्या यू.पी.–15–ए.टी.–2723 के सम्बन्ध में टिप्पणी चाही गयी है। जबकि पत्रावली में उपलब्ध श्री कैलाश इलेक्ट्रोनिक धर्मकांटा, आगरा की रसीद संख्या 13 दिनांक

लगातार.....4

30.06.2011; अनिता स्टोन कम्पनी, आगरा के बिल संख्या 53 दिनांक 30.06.2011 एवं पटेल ट्रांसपोर्ट कमीशन एजेन्सी, आगरा की बिल्टी संख्या 892 दिनांक 30.06.2011 के अनुसार वाहन आगरा में था तथा पत्थरों के परिवहन में काम में लिया जा रहा था। इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग के अनुसार वाहन की चैकिंग दिनांक 25.09.2011 को किया जाना बताया गया है, जबकि इस बाबत प्रार्थी को प्रथम नोटिस दिनांक 23.07.2013 अर्थात् लगभग 2 वर्ष पश्चात जारी किया गया है। पत्रावली से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आबकारी निरोधक दल द्वारा अवैध शराब के परिवहन में अभियोग दर्ज किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर किस सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया गया है। इस प्रकार उक्त समस्त तथ्य प्रकरण की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। अतः प्रकरण में विभागीय स्तर पर पुनः जांच की जाकर तथ्यों से प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है।

7. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन है कि उनके द्वारा अपना वाहन श्री गुरजीत सिंह को लीज पर दिया हुआ था तथा वाहन से सम्बन्धित समस्त जिम्मेदारी श्री गुरजीत सिंह की थी, इस बाबत प्रस्तुत किये गये लीजडीड दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त दस्तावेज सक्षम कार्यालय से पंजीबद्ध नहीं है, केवल नोटेरी द्वारा प्रमाणित है। किसी भी दस्तावेज को साक्ष्य में तभी ग्राह्य किया जा सकता है जबकि वह सक्षम पंजीयन कार्यालय से पंजीबद्ध हो। ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक का यह तर्क चलने योग्य नहीं है कि उनका वाहन लीज पर था। अतः इस बाबत् आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

8. उपरोक्त विवेचन को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त तथ्यों का विधिसम्मत/तथ्यात्मक रूप से समाधान करने के उपरान्त प्रकरण में पुनः निर्णय पारित किया जावे। प्रार्थी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण से सम्बन्धित समस्त साक्ष्य सहित दिनांक 28.11.2016 को आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के समक्ष उपस्थित हों।

9. निर्णय सुनाया गया।

23/10/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष